हमारा ई-मेल : pancham.news@gmail.com

पंचम्

पंचायती राज महासंघ का समाचार-पत्र

पंचायती राज महासंघ चुने हुए त्रिस्तरीय पंचायतीराज जन–प्रतिनिधियों का एक संयुक्त मंच हैं, जो प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त, सक्रिय, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिये प्रयासरत् है। वर्तमान में 25 जिलों के 40 ब्लाकों में लगभग 5000 निर्वाचित जन–प्रतिनिधि पंचायती राज महासंघ की सदस्यता ग्रहण कर कार्यरत् है।

वर्ष : 7 अंक : 08 | भोपाल, अगस्त 2013 | RNI MP 2007/20746 | पृष्ठ : 8 | मूल्य 5 रूपए

ग्रामसभा कैसे होगी मजबूत?

ग्रामसभा को पंचायत राज व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रामसभा द्वारा लिए गए फैसले किसी भी पंचायत इकाई (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पचांयत) को बदलने को अधिकार नहीं है। न ही प्रशासन या कोई सरकारी तंत्र ग्रामसभा के फैसलों बदला सकता।

ग्रामसभा सभी पंचायत इकाइयों और सरकारी तंत्र से ऊपर है। गांव के विकास एवं योजना के क्रियान्वयन से संबंधित फैसले लेने का अधिकार ग्रामसभा को है। किन्तु वास्तविक धरातल पर स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। कहा जाता है कई गांवों में लोग ग्रामसभा में हिस्सा नहीं लेते हैं। जबकि कई लोगों की शि्कायत होती है कि ग्रामसभा में उनके मुद्दों पर फैसला नहीं हो पाता। इस दशा में यह सवाल सामने आता है कि आखिर अच्छी ग्रामसभा कैसे हो? इस संबंध में हमने पूर्व एवं वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा की। यहां प्रस्तुत है, पंचायत राज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनके सुझाव :-

लोगों के मुद्दों पर केन्द्रित हो

यदि हम ग्रामसभा की स्थिति पर नजर डाले तो आज हमें निराशा होती है। कई ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का कोरम पूरा नहीं होता और पंचायत के फैसलों में ग्रामवासियों की भागीदारी नहीं हो पाती। यह देखा गया है कि कई स्थानों पर लोग ग्रामसभा में रूचि नहीं लेते। क्योंकि लोगों के बीच यह बात प्रचारित नहीं की गई है कि ग्रामसभा में उनके मुद्दों पर चर्चा होगी। बल्कि आज भी कई लोग यह समझते हैं कि ग्रामसभा का एजेण्डा सरकार तय करती हैं। इस दशा में जब तक लोगों को उनके मुद्दों को ग्रामसभा में रखने और उस पर बहस करने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक ग्रामसभा के प्रति उनकी रूचि नहीं बढ़ेगी। हालांकि नियमों में यह प्रावधान है। किन्तु ग्रामसभा संचालित करते समय ज्यादातर स्थानों पर सरपंच एवं सचिव द्वारा सिर्फ सरकारी एजेण्डा को ही महत्व दिया जाता है।

– **बृजकिशोर डण्डोतिया**, ग्राम देवरी, जिला मुरैना।

उपस्थिति अनिवार्य की जाए

पंचायत राज में ग्रामवासियो के भागीदारी के मामले में ग्रामसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन्तु यह बात बार-बार देखने को मिलती है कि लोग ग्रामसभा की बैठक में शामिल नहीं होते है। कई बार तो ग्रामसभा का कोरम भी बड़ी मुश्किल से पूरा हो पाता है। जबकि ग्रामसभा में ही सारे फैसले लोगों के अनुसार होने चाहिए। अतः ग्रामसभा में लोगों की उपस्थिति अनिवार्य की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें ही दिया जाना चाहिए, जो ग्रामसभा में आकर अपना प्रस्ताव रखते हैं।

– **गीतांजलि मिश्रा,** सरपंच, ग्राम पंचायत खीरा, जिला रीवा।

फैसलों का क्रियान्वयन समय पर हो

लोगों को ग्रामसभा की ताकत से अवगत् कराने की जरूरत है। आज भी समाज के गरीब-वंचित तबकों के लोगो को ग्रामसभा के अधिकारों की जानकारी नहीं है। एक खास सवाल यह भी है कि जो लोग ग्रामसभा में आते हैं, उनकी रूचि ग्रामसभा के प्रति कैसे कायम रखी जाए? क्योंकि ग्रामसभा में उनके द्वारा रखे गए मुद्दों पर क्या कार्यवाही हुई, इसकी उन्हें कोई जानकारी ही नहीं मिलती। इस दशा में ग्रामसभा में प्रति उसकी रूचि खत्म हो जाती है। अतः ग्रामसभा में लोगों की भागीदारी बढाने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के मुद्दों पर काम हो और समय पर उसका परिणाम हासिल हो।

– ';ke JhokLro] पूर्व सरपंच, जिला दतिया

'k"k i:t 3 ij

ग्रामसभा में होगा रोजगार गारंटी के कार्य और बजट का फैसला

15 अगस्त को होगा ग्रामसभा का आयोजन, प्रत्येक ग्राम पंचायत का बनेगा लेबर बजट और उसके अनुसार होगा काम

रोजगार गारंटी के क्रियान्वयन के मामले में इस बार 15 अगस्त को होने वाली ग्रामसभा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस ग्रामसभा में रोजागर गारंटी के अंतर्गत आगामी दो सालों में किए जाने वाले कामों के बारे में फैसला लिया जाएगा। ग्रामसभा में सभी ग्रामवासी यह तय करेंगे कि आगामी समय में पंचायत में जॉबकार्ड धारकों की ओर से कितने दिनों के काम की मांग होगी और उसके मुताबिक पंचायत को कितनी धन राशि की जरूरत होगी, इसका बजट बनाया जाएगा। इसमें यह भी तय किया जाएगा कि इस बजट से पंचायत में क्या–क्या काम करवाएं जाएंगे।

ग्रामसभा में क्या करें?

- ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच, पंच तथा अन्य जागरूक लोगों को चाहिए कि वे अधिक से अधिक लोगों को ग्रामसभा में आने लिए प्रेरित करें।
- ग्रामसभा सदस्यों द्वारा इस वर्ष यानी 1 अप्रैल 2013 से अब तक पंचायत में रोजगार गारंटी के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा की जाए।
- इन कामों को करने के लिए खर्च का आकलन कर लेबर बजट बनाए।
- इस बात पर विचार किया जाए कि इस वर्ष ***31*** मार्च 2014 तक तथा अगले वर्ष यानी 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक कितने परिवारों को काम की जरूरत होगी।
- काम की जरूरत का आकलन कर यह तय करें कि कौन से सामुदायिक कार्य करवाए जांएगे और कौन–कौन से हितग्राहीमूलक काम करवाए जांएगे।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार रोजगार गांरटी के क्रियान्वयन की व्यवस्था में कई बदलाव किए गए है, जिसका विवरण पंचम के जुलाई माह के अंक में दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पंचायत में 30 से 50 मजदूरों के समूह बनाएं जाएंगे और हर समूह का एक मेट होगा। बताया जाता है कि मध्यप्रदेश में इस दिशा निर्देश के अनुसार समूहो गठन हो चुका है। नए दिशा निर्देश के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश में विशेष तैयारियां किए जाने की बात कही जा रही है। इस बार की ग्रामसभा में लेबर बजट बनाने की प्रक्रिया इसी कड़ी का एक हिस्सा है।

म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त श्री रवीन्द्र पस्तोर द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन होने वाली ग्रामसभा में हर पंचायत का लेबर बजट बनाया जाए। यानी आगामी वर्ष में गांव के कितने परिवारों द्वारा कितने दिन मजदूरी की जाएगी। कोशिश यह हो कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार द्वारा प्रावधानों के अनुसार पूरे 100 दिन का काम किया जाए। किन्तु इसका फैसला लोगों को ग्रामसभा में लेना है। इस तरह यह स्पष्ट होगा कि पंचायत में रोजगार के लिए कुल कितने मानव दिवस की आवश्यकता होगी? म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कुल आवश्यक कार्य दिवस के अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट कार्य की टीएस स्वीकृत कर रखी जाए, जिससे जरूरत अनुसार कार्य प्रारंभ किए जा सकें।

सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्य चिन्हित किए जाएंगे

ग्रामसभा में तय किए जाने वाले लेबर बजट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि पंचायत में कौन–कौन से काम किए जाएगे? स्पष्ट है कि रोजगार गारंटी के नए

'k"k i:t 3 ij

राज्य योजना आयोग देखेगा योजनाओं की हकीकत

भोपाल। विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को परखने के लिए मध्यप्रदेश के राज्य योजना आयोग की टीम अब मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यह टीम मौके पर जाकर विकास योजनाओ के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करेगी। इसके लिए वह ग्रामवासियों और पंचायत प्रतिनिधियो से बातचीत कर उनकी राय जानने का भी प्रयास करेगी। साथ ही टीम के सदस्य जिला अधिकारियों से भी सवाल–जवाब करेगे। माना जा रहा है कि राज्य योजना आयोग के इस प्रयास से योजनाओ की सचाई पता चलेगी, साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में भी चुस्ती दिखाई देगी। योजनाओं के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता के स्तर का भी पता इस टीम द्वारा लगाया जाएगा। साथ ही थानीय लोगों और जन प्रतिनिधियो से योजना के

> राज्य योजना आयोग की टीम जिलों का दौरा कर योजनाओं के क्रियान्वयन पर ग्रामवासियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी।

क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक लेने से कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने आने की उम्मीद है। राज्य योजना आयोग द्वारा योजनाओ के आकलन पर आधारित रिपोर्ट संभागवार मुख्यमंत्री श्री शिवरा. जसिंह चौहान को भेजी जाएगी। राज्य योजना आयोग ने तय किया है कि विकास के कामों के प्रति जनता को जवाबदेह और सहभागी बनाने के लिए सोशल ऑडिट की प्रक्रिया लागू की जाएगी है। इसमें ग्रामसभाओं की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

''विभागीय समीक्षाओं के साथ आयोग भी अपने स्तर पर मैदानी कामकाज का आकलन कर रहा है। इसके लिए सलाहकारों के साथ जिलों के दौरे किए जाएंगे। इसमें जो हकीकत निकलकर सामने आएगी, उसकी रिपोर्ट तैयार का मुख्यमंत्री को भी सौपी जाएगी।

– **बाबूलाल जैन,** उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग।

कदम–कदम पर बाधाओं और विरोधों के चलते एक महिला सरपंच के लिए शराबबंदी जैसे फैसले लेना अत्यन्त कठिन होता है। यदि फैसला लें भी लें तो उसे जमीनी स्तर पर लागू करने में दिक्कत होती है। इसके बावजूद सरपंच प्रभादेवी ने जो कर दिखाया वह सचमुच चौकाने वाला है।

महिला सरपंच ने लागू की शराब बंदी

ताहा गांव शराबियों के लिए ठीक नहीं है। यहां शराब पीकर घूमने वालों पर 100 जुर्माना वसूला जाता है। यह निर्णय ग्राम पंचायत की सरपंच प्रभादेवी की पहल पर ग्रामसभा द्वारा लिया गया। ग्रामसभा के इस निर्णय को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पांच महिलाओं का एक समूह बनाया गया है जो हर दिन इस बात की देखरेख करता है कि कोई व्यक्ति गांव में शराब पीकर तो नहीं घूम रहा है।

यह पंचायत सतना जिले की जनपद पंचायत रामपुर बघेलान में शामिल है। सरपंच प्रभादेवी का कहना है कि शराब का सबसे ज्यादा .खामियाजा महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ता है। साथ ही शराब पीकर गांव में घूमने वालों के कारण गांव का वातावरण बिगड़ता है और महिलाएं खुलकर गांव में काम नहीं कर पाती है। इसलिए शराबियों पर जुर्माना लगाने का फैसला करना पड़ा।'' इस फैसले के कठोर क्रियान्वयन का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 26 जनवरी 2011 को फैसला लेने के बाद से दिसम्बर 2011 तक नियम तोड़ने वालों से कुल 3 हजार रूपये की वसूली की जा चुकी है। यानी यह शराबबंदी का फैसला हवा में नहीं लिया गया, बल्कि ठोस रूप से लागू किया गया है।

आदिवासी समुदाय की 42 वर्षीय प्रभादेवी ने पांचवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। पंचायत चुनाव में 314 मतों से सरपंच बनने वाली प्रभादेवी को शुरू में कई तरह की दिक्कत आई। प्रभादेवी पढ़ना–लिखना जानती थी और सरपंच के अधिकार व जिम्मेदारियों को समझती थी। इसलिए वह सिर्फ नाम के लिए सरपंच बनना नहीं चाहती, बल्कि अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना चाहती थी। यही बात गांव के कतिपय दबंग लोगों को पंसद नहीं आई, लिहाजा वे सरपंच को हर काम में बाधा पहुंचाने लगे। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के दिन जब प्रभादेवी झण्डावंदन करने पहुंची तो उन लोगों द्वारा उन्हें इस संवैधानिक अधिकार का उपयेाग करने से रोका। सरपंच प्रभा देवी बताती है कि ''यदि मैं इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती तो उन लोगों के हौसले ज्यादा बढ़ जाते। इसलिए मैने पुलिस थाने में उनकी शिकायत की।'' गांव में एक दिन जब तहसीलदार का आगमन हुआ तो एक व्यक्ति ने शराब के नशे में सरपंच को अपमा. नित किया। इसी घटना के बाद ही सरपंच प्रभादेवी ने गांव में शराबियों पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया और ग्रामसभा में यह प्रतिबंध सर्वसम्मिति से परित करवाया।

ग्रामसभा में इस प्रस्ताव को रखने से पहले सरपंच प्रभादेवी ने महिलाओं से बातचीत की और उन सभी के समर्थन व सहयोग से इस प्रस्ताव को पारित करवाने में सफलता हासिल की। इससे उनकी राजनैतिक सूझबूझ और इच्छा शक्ति सामने आती है कि कठिन परिस्थितियों और बाधाओं के बावजूद यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पास करवा पाई।

जाहिर है कि कई बार पंचायत और ग्रामसभा द्वारा फैसले तो ले लिए जाते हैं, किन्तु उनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। सरपंच प्रभादेवी ने इस फैसलों को कड़ाई से लागू करने के लिए पांच महिलाओं का समूह बनाया और शराबियों को पकड़ने की जिम्मदारी दी। ये महिलाएं गांव में निगरानी रखती है कि कोई शराब पीकर तो नहीं घूम रहा है। यदि कोई शराब के नशे में गांव में घूमता पाया जाता है तो उसके बारे में ग्रामसभा में बात रखती और ग्रामसभा में ही उसका जुर्माना वसूला जाता है। इस तरह महिलाओं के सख्त रवैये से ग्रामसभा का नियम तोड़ने वालों से एक वर्ष में 3000 रूपए की राशि वसूली जा चुकी है। अब शराब पीकर हुडदंग करने वाले इस गांव का नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते हैं।

प्रेरणा और सीख

इस बार हमने कुछ महिला सरपंचों से बातचीत कर पंचायत में उनकी भूमिका जानने की कोशिश की। वे सरपंच के रूप में किस तरह काम कर पा रही है? उन्होंने ऐसा क्या काम किया, जो प्रचलित विकास की धारा से अलग है? इस बारे में हमें उत्साहजनक तस्वीर देखने को मिली। यहां प्रस्तुत है उसकी एक झलक।

बदलाव की इबारत लिखती महिला सरपंच

jkt [kyrk g fejkok
dk ipk;r Hkou

मुन्नी साकेत, सरपंच ग्राम पंचायत मिरौवा, जिला सतना।

सतना जिले की ग्राम पंचायत मिरौवी का ग्राम पंचायत कार्यालय हर रोज खुलता हैं। लोग कभी भी यहां जा सकते है और पंचायत से संबंधित अपने काम करवा सकते है। इस पंचायत में यह संभव हुआ है यहां की सरपंच मुन्नी साकते के प्रयासों से। सरपंच बनने के बाद मुन्नी साकेत ने सचिव को बुलाया और कहा कि हमारी पंचायत हर रोज खुलनी चाहिए और मैं हर रोज 11 बजे से 5 बजे तक पंचायत में बैठूंगी। सरपंच मुन्नी साकेत कहती है कि ''जब मैं सरपंच नहीं तब कई बार पंचायत भवन के चक्कर लगाए, पर हमेशा ताला ही मिलता था। काम करवाने के लिए सरपंच के घर जाना पड़ता था। पंचायत से लोगों को कई काम होते हैं, जैसे - निवासी और आय प्रमाण पत्र बनवाना, जन्म मृत्यु पंजीयन करवाना, राशन कार्ड बनवाना और उनकी समस्याओं को हल करवाना। इन सब कामों के लिए लोगो को भटकना नहीं पड़े और पंचायत में उनकी बात सुनने के लिए कोई न कोई हमेशा रहे।'' अब मुन्नीबाई हर रोज ग्राम पंचायत में बैठती है और सचिव भी वहां उपस्थित रहते हैं।

पहली बार मिले बड़हर गांव में इंदिरा आवास

गायत्रीदेवी, सरपंच, ग्राम पंचायत अवढेरा, जिला अनुपपुर।

अनुपपुर जिले की ग्राम पंचायत अवढेरा की सरपंच गायत्रीदेवी ने पंचायत में कई काम किए। बड़हर गांव में पिछले पचास सालों में एक भी परिवार को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला था। पहली बार पंचायत को पांच इंदिरा आवास स्वीकृत हुए, जिसमें से दो इंदिरा आवास इस गांव में देने का फैसला लिया गया। साथ ही कपिलधारा योजना के 21 कुए बनवाए गए, सड़क पर मुरमीकरण करवाया गया और एक तालाब का गहरीकरण किया गया। पंचायत की समस्याओं पर चर्चा करने पर गायत्रीदेवी बताती है कि ''गांव मे बिजली कनेक्शन लगवाना और सड़कों को ठीक करना तथा गांव को साफ-सुथरा बनाना जरूरी है। इसके लिए मैं पंचायत में प्रस्ताव रखूंगी और फैसले लेकर ये काम करवाऊंगी।''

मउहरा में हल हुई पानी की समस्या

कुसुमकली, सरपंच, ग्राम पंचायत मउहरा, जिला रीवा।

रीवा जिले की ग्राम पंचायत मउहरा में पानी की समस्या बहुत ही गंभीर है। यहां भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण हैण्डपंप और कुओं के जरिये पानी की समस्या हल करना मुश्किल हो रहा है। इस दशा में सरपंच कुसुमकली समस्या हल करने का प्रयास कर रही है।

सरपंच बनने के बाद कुसुमकली ने मउहरा गांव में 52 एक़ड़ तालाब का प्रस्ताव पास कर जनपद पंचायत भेजा गया। तकनीकी स्वीकृति के बाद अब वे रोजगार गारंटी योजना में इस तालाब का निर्माण करवा रही है। उनका कहना है कि ''तालाब बनने पर जमीन में पानी का रिसन होगा, जिससे गाव के कुए-हैण्डपपं में जलस्तर बढ़ेगा और पशुओं के पीने के पानी की समस्या भी हल होगी।

सरपंच पद पर अब तक के कार्यकाल में विभिन्न सरकारी योजना के अंतर्गत आंबटित सभी कार्यो को सरपंच ने अपनी देखरेख में पूरा किया। कुसुमकली इस पंचायत की बीपीएल सूची में बदलाव करवाना चाहती है। यहां के 300 परिवारों में मात्र 66 परिवारों का नाम ही बीपीएल सूची में है, जिससे गरीब और वंचित समुदाय के कई परिवार सरकारी विकास योजनाओं से वंचित हो गए हैं।

ऐसे दिलवाई रोजगार गारंटी की मजदूरी!

तुलसाबाई, सरपंच, ग्राम पंचायत, लखाखेरा, जिला कटनी

कटनी जिले की ग्राम पंचायत लखाखेरा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महीनों से मजदूरी का पैसा बकाया था। सरपंच तुलसाबाई ने इसके लिए जनपद पंचायत के सीईओं से बात करने पहुंची। वे बताती है कि ''जनपद सीईओ का कहना था कि रोजगार गारंटी योजना में तो ऐसा होता ही है, आप नई-नई सरपंच बनी हो, धीरे-धीरे समझ जाओगी। मूल्यांकन के बाद ही मजदूरी मिलेगी।'' तुलसाबाई ने पूछा की मूल्यांकन कब होगा? इस पर सीईओ ने बताने से इंकार कर दिया। जब जनपद पंचायत में समस्या हल नहीं हुई तो वे कलेक्टर से मिलने गई। उन्होंने रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को मजदूरी दिए जाने में आ रही दिक्कतों और सीईओ के रवैये के बारे में कलेक्टर को बताया। तुलसाबाई कहती है कि ''कलेक्टर ने कहा कि 10 दिनों के अंदर मजदूरों की मजदूरी पंचायत में पहुंच जाएगी। यदि 10 दिनों में नहीं मजदरी नहीं मिले तो मुझे आकर बताना।'' तुलसाबाई बताती है कि ''दस दिन के अंदर ही पंचायत में मजदूरी का पैसा मिल गया। इससे मुझे यह विश्वास हुआ कि मैं किसी भी अधिकारी से बात कर सकती हूं और समस्या हल करवा सकती हूं।'' सरपंच तुलसाबाई पंचायत की सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वे हर मंगलवार और शनिवार को स्कूल का दौरा कर मध्यान्ह भोजन की निगरानी करती है। वे अपने गांव में एक और आंगनबाड़ी खुलवाना चाहती है। उनका कहना है कि ''गांव में 125 बच्चे है, जिनके लिए एक आंगनबाड़ी पर्याप्त नहीं है।

सरपंच ने सुधारी राशन वितरण व्यवस्था

सरपंच और महिला पंचों की निगरानी में होता है अनाज का वितरण

NrjiijA जिले की बड़ा मलहरा जनपद पंचायत में शामिल ग्राम पंचायत फुटवारी में इन दिनों सभी ग्रामवासियों को उनके अधिकार का पूरा राशन मिल रहा है। इससे पहले यहां की राशन दुकान में वितरण संबंधी कई दिक्कतें थी। सरपंच ममता वंशकार ने राशन वितरण व्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठाया। आज वे खुद राशन दुकान जाकर वितरण व्यवस्था की देखरेख करती हैं। सरपंच ममता वंशकार बताती है कि एक प्रशिक्षण कार्यशाला में मुझे पता चला कि सरपंच राशन दुकान की निगरानी समिति का अध्यक्ष होता है और लोगों को पूरा राशन दिलवाना सरपंच की जिम्मेदारी होती है। मैने देखा के लोगों को अपने हक का पूरा राशन नहीं मिल पाता। उनके हिस्से का अनाज और मिट्‌टी का तेल दबंग लोग ले जाते थे। इसलिए मैने पंचायत के महिला समूहों और यहां गठित साझा मंच की महिलाओं की मदद से वितरण व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया।

वितरण व्यवस्था में अनियमितता से ग्रामवासी पहले से ही परेशान थे। उनका कहना था कि राशन दुकान से मिट्‌टी का तेल क्षेत्र के दबंग लोग ले जाते थे। इस पर गांव की महिलाओं ने सरपंच ममता वंशकार के सामने अपनी बात रखी। सरपंच ने आश्वासन दिया कि यह समस्या जल्दी ही हल की जाएगी।

इसके लिए महिलाओं ने एक बैठक की और उसमें राशन दुकान के सेल्समेन को बुलाकर इस समस्या के बारे में पूछताछ की। सेल्समेन ने बताया कि कुछ दंबग लोग ही राशन दुकान में आकर अनियमितता फैलाते हैं। इस पर सरपंच ममता वंशकार ने कहा कि अगली बार जब भी राशन वितरण करोगे, उससे पहले मुझे सूचित करना। मै खुद वहां आकर राशन वितरण करवाउंगी। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया कि सरपंच के साथ वार्ड पंच की राशन दुकान में उपस्थित रहेंगे। इस तरह जब सरपंच और पंच राशन दुकान में एकत्र होकर अपनी देखरेख में राशन वितरण करवाने लगी तो गांव के दंबग लोगों की वहां आने की हिम्मत ही नहीं हुई। इससे लोगों को उनके हिस्से का अनाज मिला।

पंचायतों की खबरें

उजाले के इंतजार में एक गांव!

बिजली परियोजनाओं के नाम पर विस्थापित होने वाले आदिवासी बिजली से वंचित

बांध और बिजली परियोजनाओं में आदिवासी समुदाय के जमीन और जंगल तो छीन लिए जाते हैं, किन्तु उन्हें उन परियोजना का लाभ नहीं मिलता। यह स्थिति मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिले के वाकनेर गांव में देखी जा सकती है, जहां आजादी के बाद से लेकर आज बिजली नहीं पहुंच पाई। जबकि इसके आसपास के गांवों को सिंचाई और बिजली परियोजना के नाम पर ही विस्थापित किया गया। यहां प्रस्तुत है मध्यप्रदेश में गुजरात सीमा से लगे वाकनेर गांव की तस्वीर।

jkt'k ;kno }kjk

मध्यप्रदेश सरकार का दावा है कि यहां सभी 51000 गांवों में बिजली उपलब्ध हैं और अटल ज्योति योजना के माध्यम से हर गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। किन्तु आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली कनेक्शन ही मौजूद नहीं है। बिजली कनेक्शन से महरूम होने वाले ज्यादातर गांव दूरदराज के क्षेत्रों के हैं और आदिवासी बहुल हैं। आदिवासी बहुल आलीरा. जपुर जिले के वाकनेर गांव की गिनती इसी तरह के गांवों में की जा सकती है, जहां आज भी लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं है।

मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिले के सोण्डवा ब्लाक के इस गांव में 2500 लोग निवास करते हैं। इस गांव में 7 फलिये हैं, जो 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं। इसके आसपास का कुछ गांव नर्मदा बांध की डूब क्षेत्र में शामिल है, जबकि पिछले कई सालों से इस गांव पर रिजर्व फारेस्ट का खतरा मंडरा रहा। लोग कहते हैं कि सरकार इस गांव को भूल गई हैं। आजादी के बाद से लेकर आज तक इस गांव में बिजली नहीं मिल पाई और आगे भी कभी मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नही हैं।

जंगल और नदियों के बीच बसे इस गांव में बिजली नहीं होने के कारण रात्रि में लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कत होती है। लोग बताते हैं कि यदि कोई बीमार हो जाए तो एक फलिये से दूसरे फलिये तक जाना मुश्किल होता हैं। इसके अलावा खेती के मामले में भी लोग बरसात के पानी पर निर्भर हैं। सरकार ने कपिलधारा योजना में कुए को खुदवा दिए लेकिन बिजली के अभाव में सिंचाई कैसे करें? डीजल इंजन से सिंचाई करना बहुत महंगा पड़ता है। इस तरह दूरदराज के आदिवासी गांव बिजली जैसी मूलभूत जरूरत से आज भी वंचित है।

आजादी के बाद से लेकर आज तक कई बिजली परियोजनाएं स्थापित की गई और उनके लिए लाखों आदिवासियों को विस्थापित किया गया। जिनकी कीमत पर बिजली परियोजनाएं स्थापित की गई, उन तक आज भी बिजली नहीं पहुच पाई। यह देखना है कि वाकनेर और उसके जैसे गांवों को बिजली के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?

ग्वालियर जिले की 49 ग्राम पंचायतों में सुशासन शिविर आयोजित

शिविर के दौरान ग्रामवासियों से चर्चा करते हुए संभागायुक्त के के खरे।

Xokfy;jA जुलाई माह में जिले की 49 ग्राम पंचायतों में सुशासन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायत एवं विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों ने गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निराकरण करने का प्रयास किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं से संबंधित लोगों के आवेदन पत्र लिए और संबंधित ग्राम पंचायतों व जनपद पंचायत को निर्देशित कर उनका निराकरण किया गया। शिविर के दौरान कमिश्नर श्री के.के. खरे, कलेक्टर श्री पी नरहरि, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सूफिया फारूखी और अपर कलेक्टर श्री शिवराज वर्मा ने पंचायतो का दौरा किया और लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रत्येक शिविर के लिए आठ सदस्यीय दल नियुक्त किया गया था। एस.डी.एम. को शिविर का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। बताया जाता है कि पांच चरणों में आयोजित सुशासन शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकण की प्रकिया जारी है तथा बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों की पेंशन मंजूर की गई।

पेज एक के शेष

ग्रामसभा कैसे....

gj xko e gk xkelHkk vk;ktu deVh

पंचायत राज के नियमों के अनुसार ग्रामसभा के आयोजन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच की है। किन्तु यह देखा गया है कि वे ग्रामसभा को सक्रिय करने की विशेष को. शिश नहीं करते। क्योंकि ग्रामसभा उनके कामों की समीक्षा करती है और सवाल पूछती है। इस दशा में खुद पर सवाल उठाने वालो को कोई क्यों मजबूत करेगा? मजबूत ग्रामसभा के लिए यह जरूरी है कि ग्रामसभा के आयोजन की जिम्मेदारी गांव के लोगों को दी जाए। इसके लिए हर गांव में ग्रामसभा आयोजन कमेटी बनाई जानी चाहिए। इस कमेटी को ग्रामसभा आयोजित करने और उसका एजेण्डा जारी करने का अधिकार हो।

–uoth] पूर्व जनपद प्रतिनिधि, सोण्डवा, जिला आलीराजपुर

efgyk leg fuHkk ldr gi [kkl Hkfedk

ग्रामसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पुरूष तो ग्रामसभा में आ जाते हैं, किन्तु महिलाएं ग्रामसभा में नहीं आती है, जिससे ग्रामसभा के फैसलों में महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाती। इस बारे में महिला समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हे। गांव–गांव में महिला समूह गठित है। इन समूहों की बैठक में ग्रामसभा के बारे में चर्चा की जाए और ग्रामसभा में उनके द्वारा रखे जाने वाले मुद्‌दों पर बात. चीत की जाए। यदि समूहों से जुड़ी सभी महिलाएं ग्रामसभा में आने लगे तो ग्रामसभा में मजबूती आएगी।

– uenki lkn] पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, मेलपिपल्या (जिला देवास)

ग्रामसभा में .....

दिशा निर्देशों के अनुसार अब इसके माध्यम से सामुदायिक और हितग्राहीमूलक दोनों ही तरह के काम करवाए जा सकते हैं। इन कामों में निजी खेतों पर किए जाने वाले मिट्‌टी एवं जल संरक्षण के काम जैसे–पालाबंदी, बंधान, पौधारोपण एवं अन्य प्रकार के ढांचों का निर्माण करवाया जा सकता है। साथ ही शौचालय निर्माण को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ग्रामसभा द्वारा पंचायत का लेबर बजट बनाते समय इस बात ध्यान रखा जाना चाहिए कि पंचायत में लोगों की जरूरत किस तरह की है और उस जरूरत को रोजगार गारंटी के जरिये कैसे पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अब सतत व टिकाऊ आजीविका विकास से संबंधित समुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्यों का प्रावधान रोजगार गारंटी में शामिल है। किन्तु इस प्रावधान का लाभ लोगों को तभी मिल पाएगा, जब लोग ग्रामसभा में इससे संबंधित फैसले लेकर उसका क्रियान्वयन करवाएंगे।

पंचायतों की खबरें

पेंशन से वंचित हैं हजारों हितग्राही

f'koiqjh ftys d 40 gtkj o`)] fo/kok] fodykax vkSj fujkfJr ykxksa dks fiNys rhu eghuks ls isa'ku ugha fey jgh gSA nrjks d pDdj yxkus ds ckn Hkh ugha nh tk jgh Li"V tkudkjhA

f'koiqjhA जिले के 40 हजार वृद्ध, विकलांग, विधवा एवं निराश्रित लोग पिछले तीन महीनों से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। कई हितग्राहियों ने जब इस बारे में जनपद पंचायत जाकर पूछताछ की तो उन्हें कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। लोग जानना चाहते हैं कि उनकी पेंशन क्यों नही मिल रही है और कब तक मिलेगी? पेंशन नहीं मिलने से लोग बेहद परेशान है। वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

गौरतलब है कि जिले में पिछले तीन माह से सामाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली विधवा, वृद्ध, विकलांग सहित अन्य पेंशन

हितग्राहियों के खाते में नहीं पहुंचाई गई। बताया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा ऑनलाईन फीडिंग के आदेश के कारण पेंशन भुगतान की प्रक्रिया का डाटा ऑनलाइन नहीं हो पाया, इसलिए भुगतान लटक गया।

परेशान हितग्राहियों का मामला जब जिला कलेक्टर के संज्ञान में आया तो उन्होंने पुरानी प्रक्रिया से ही राशि को जल्दी से जल्दी रिलीज करने के निर्देश उप संचालक को दिए। उम्मीद है कि यह अखबार प्रकाशित होने तक पेंशन से वंचित हितग्राहियों उनकी पेंशन मिल पाएगी।

भिण्ड जिले में पेंशन घोटाला

fHk.MA मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में वृद्धावस्था और निराश्रित पेंशन वितरण में घोटाले का मामला सामने आया है। यहां पेंशन का वितरण डाक विभाग द्वारा किया जाता था, जिसमे पिछले कई सालों से गबन किया जा रहा था। पेंशन योजनाओं के 88 लाख रूपए के गबन के मामले में पुलिस एक डाकिए को गिरतार किया है।

जिले के डाक अधीक्षक के अनुसार शहर में 17 बटालियन स्थित नई जमीन क्षेत्र के डाकघर के पोस्ट मास्टर और डाकिए ने वर्ष 2011–12 के बीच वृद्धावस्था और निराश्रित पेंशन पाने वाले 271 लोगों के खातों में मनमाफिक तरीके से 88 लाख रूपए का अतिरिक्त और फर्जी भुगतान कर दिया। ऐसा करने के लिए न सिर्फ आरोपियों ने लोगों के असली हस्ताक्षर आहरण पंजी पर कराए, बल्कि खातों में भी रकम बढ़ा दी, जिससे 271 खाते माइनस में चले गए, यानी जितना पैसा जमा नहीं हुआ था उससे कई गुना अधिक पेसा निकाल लिया गया।

ऑडिट के दौरान इस घपले का खुलासा हुआ। इसके बाद दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया। इस मामले में डाकिए को गिरतार कर लिया गया है और पोस्ट मास्टर फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

राज्य की खबरें

स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताः मुख्यमंत्री

HkksikyA मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का केन्द्र गांव को बनाया जाएगा। स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर कार्य करके दिखाए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मातृ एवं बाल स्वास्थ्य विषय पर आयोजित परिचर्चा को संबंधित कर रहे थे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री महेन्द्र हार्डिया, मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों का जीवन स्तर सुधरे यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए हमें संपूर्णता में विचार कर आर्थिक स्तर, लोगों के दृष्टिकोण, शुद्ध पेयजल और जनसंख्या स्थिरीकरण पर ध्यान देना होगा। इस कार्य में समाज और अशासकीय संगठनों को जोड़ना होगा। प्रदेश में सड़क, बिजली, सिंचाई, कृषि और अधोसं. रचना के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुआ है। अब स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पेयजल योजना शुरू की गई। बेटी बचाओं अभियान के माध्यम से लोगों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

मुख्य सचिव श्री आर परशुराम ने कहा कि प्रदेश में सम्पूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एकीकृत वित्तीय स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली की वेबसाईट का लोकार्पण किया और आर. एम.एन.सी.एच मार्गदर्शिका का विमोचन किया।

मध्यप्रदेश की हर पंचायत होगी आनलाईन

भोपाल। सरकार प्रदेश की हर पंचायत को ऑनलाइन करने की योजना पर काम शुरू कर रही है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा की नई व्यवस्था एवं सभी योजनाओं का रिकार्ड ऑनलाइन किए जाने के लिए पंचायतों को भी ऑनलाईन करना अनिवार्य है। इसी जरूरत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक पंचायत में कम्प्युटर और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया है। इसके लिए कम्प्युटर हार्डवेयर और अन्य जरूरी सामग्री की खरीदी के लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए 2 अरब 20 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि आवंटित की जा चुकी है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजे गए पत्र में ई–पंचायत कार्यक्रम में सभी 23 हजार 6 ग्राम पंचायतों में कम्प्युटर एवं हार्डवेयर सामग्री खरीदी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक क्रय समिति का गठन किया गया है। इस उद्देश्य से आवंटित राशि को ई–पंचायत कार्यक्रम के संचालन के लिए पंचायत स्तर पर खोले गए बैंक खाते में रखा जायगा।

यह सामग्री लघु उद्योग निगम तथा मध्यप्रद. श इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन से कान्ट्रेक्ट पर भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए खरीदी जाएगी। इनमें डेस्कटॉप कम्प्युटर, लेजर प्रिंटर तथा पॉवर कंडीशनिंग इक्यूपमेंट/इनवर्टर शामिल है। इसके साथ ही आवंटित राशि से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 40 इंच का एल.सी.डी. टी.वी. और अन्य जरूरी उपकरण की खरीदी की जाएगी।

ग्राम स्तर पर बीएसएनएल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था के बारे में भी दिशा–निर्देश दिए गए हैं। इंटरनेट सुविधा न होने पर डाटा कार्ड के विकल्प पर भी विचार किया जा सकेगा।

पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित होने पर पटवारी और सचिव होंगे बर्खास्त

Xokfy;jA यदि किसी पंचायत में किसी व्यक्ति को योजना का पात्र होने के बावजूद उसका लाभ नहीं दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पटवारी एवं ग्राम पंचायत के सचिव की होगी और इस दशा में उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। यह जानकारी संभागायुक्त श्री के.के. खरे द्वारा ग्वालियर जिले में सुशासन शिविरों के आयोजन के अवसर पर कही। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र निर्माण श्रमिकों के कार्ड तथा सभी इच्छुक व्यक्तियों के एपीएल राशन कार्ड बनाये जायें। संभागायुक्त श्री खरे ने जनपद पंचायत भितरवार की ग्राम पंचायत भरथरी, भदवाया एवं पुरी का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सुशासन शिविरों में मौजूद ग्रामीणों से राशन वितरण, लाड़ली लक्ष्मी योजना, भूमि नामांतरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि की जानकारी ली।

उन्होंने इन योजनाओं के पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र भराने और ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली कार्यवाही को पूरा करने के लिए सरपंच, सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति के योजनाओं के लाभ से वंचित होने पर संरपंच, सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी।

मध्यप्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन

एक अक्टूबर से लागू होगी राशन वितरण की व्यवस्था। प्रदेश के 5 करोड़ 61 लाख लोगों को मिलेगा सस्ती कीमत पर अनाज

HkkikyA केन्द्र सरकार द्वारा लागू खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश में जल्दी ही होने जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के हिसाब से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की व्यवस्था बनाने की कवायद शुरू कर दी है। एक अक्टूबर से कानून क प्रावधानों के मुताबिक वितरण व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है।

खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार लागू की जा रही नई व्यवस्था में अन्त्योदय अन्न योजना, बीपीएल, एपीएल और निराश्रित वृद्धजन की श्रेणी की जगह सिर्फ दो श्रेणी होगी – एक अन्त्योदय अन्न और दूसरी प्राथमिक परिवार।

अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियो को मौजूद व्यवस्था के अनुसार ही हर परिवार 35 किलो अनाज प्रतिमाह दिया जाएगा। जबकि प्राथमिक परिवार के दायरे में आने वाले परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज हर माह दिया जाएगा। प्राथमिक परिवार में बीपीएल, निराश्रित वृद्धजन के अलावा एपीएल परिवारों में से भी कुछ परिवार आएंगे, जिनकी संख्या करीब 24 लाख बताई जा रही है। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 84 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) वाले है।

उन्हें वर्तमान में उन्हें 9 रूपए प्रति किलो की दर से अनाज मिलता है। खाद्य सुरक्षा कानून के बाद इनमें से 24 लाख परिवार प्राथमिक सूची में शामिल होंगे। शेष 60 लाख परिवारों को अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ से वंचित हो जाएंगे।

खाद्य सुरक्षा प्रावधानों को अक्टूबर में पीडीएस में समाि. हत कर लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसमें अन्त्योदय के अलावा प्राथमिक परिवार की ही श्रेणी है। एपीएल परिवारों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इसके कारण ८४ लाख एपीएल कार्डधारकों में से अधिकांश पीडीएस सिस्टम से अलग हो जाएंगे। इस श्रेणी से २४ लाख परिवार प्राथमिक श्रेणी में शामिल होंगे।

– ,Vkuh fMlk] अपर मुख्य सचिव, खाद्य विभाग।

पंचायत सचिवों के पदोन्नति की तैयारी में सरकार

भोपाल। ग्राम पंचायत सचिवों को वेतन, भत्ते, पेंशन का लाभ दिए जाने की घोषणा के बाद अब प्रदेश सरकार पंचायत सचिवो की पदोन्नति तैयारी कर रही है। सरकार ऐसी व्यवस्था बना रह है कि पंचायत सचिवों को पंचायत समन्वयक के पद पर पदोन्नत किया जा सकें। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पंचायत सचिवों की पदोन्नति की कोई व्यवस्था विभागीय संरचना में नहीं है। लंबी सेवा के बाद केवल वरिष्ठता के हिसाब से वेतन वृद्धि का प्रावधान है। क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान जैसी सुविधा न होने से पंचायत सचिवों में असंतोष रहा है। पंचायत सचिव संगठन द्वारा कई बार सरकार से पदोन्नति की मांग की जा चुकी है। इस दशा में सरकार ने पंचायत सचिवो को पंचायत समन्वयक के पद पर पदोन्नति का विकल्प निकाला है।

उल्लेखनीय है कि 6 से 8 ग्राम पंचायतो के बीच एक समन्वय की तैनाती होती है। पंचायत समन्वयक ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के बीच कड़ी का काम करते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तय किया है कि पंचायत समन्वयक के 20 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएं और शेष 80 प्रतिशत पद मौजूद प्रक्रिया से यानी सीधी भर्ती द्वारा भरे जाए। विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है।

पंचायत सचिवों को मैदानी कार्यों का खूब अनुभव होता है, लेकिन उनके आगे बढ़ने के रास्ते मौजूदा व्यवस्था में नहीं है। इसलिए उन्हें पंचायत समन्वयक पद पर पदोन्नति देने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है।

– xkiky Hkkxo] मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ik=rk ijh{kk nuh gkxh % विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पंचायत सचिवों को समन्वयक बनाने के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। यह जिम्मा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को सौपा जा सकता है। परीक्षा में सफल होने वाले सचिवो की पदोन्नति पर ही विचार किया जाएगा।

मध्यप्रदेश की हर पंचायत होगी ऑनलाईन

HkkikyA सरकार प्रदेश की हर पंचायत को ऑनलाइन करने की योजना पर काम शुरू कर रही है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा की नई व्यवस्था एवं सभी योजनाओं का रिकार्ड ऑनलाइन किए जाने के लिए पंचायतों को भी ऑनलाईन करना अनिवार्य है। इसी जरूरत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक पंचायत में कम्प्युटर और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया है। इसके लिए कम्प्युटर हार्डवेयर और अन्य जरूरी सामग्री की खरीदी के लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए 2 अरब 20 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि आवंटित की जा चुकी है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजे गए पत्र में ई–पंचायत कार्यक्रम में सभी 23 हजार 6 ग्राम पंचायतों में कम्प्युटर एवं हार्डवेयर सामग्री खरीदी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक क्रय समिति का गठन किया गया है। इस उद्देश्य से आवंटित राशि को ई–पंचायत कार्यक्रम के संचालन के लिए पंचायत स्तर पर खोले गए बैंक खाते में रखा जायगा। यह सामग्री लघु उद्योग निगम तथा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन से कान्ट्रेक्ट पर भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए खरीदी जाएगी। इनमें डेस्कटॉप कम्प्युटर, लेजर प्रिंटर तथा पॉवर कंडीशनिंग इक्यूपमेंट/इनवर्टर शामिल है। इसके साथ ही आवंटित राशि से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 40 इंच का एल.सी.डी. टी.वी. और अन्य जरूरी उपकरण की खरीदी की जाएगी। ग्राम स्तर पर बीएसएनएल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था के बारे में भी दिशा–निर्देश दिए गए हैं। इंटरनेट सुविधा न होने पर डाटा कार्ड के विकल्प पर भी विचार किया जा सकेगा।

ग्राम रोजगार सहायक को मिलेगा सहायक सचिव का दर्जा

भोपाल। राज्य शासन ने प्रदेश की 23006 ग्राम पंचायतों के काम-काज को और बेहतर बनाने तथा पंचायतो के सुदृढ़ीकरण के मकसद से ग्राम पंचायतों द्वारा नियुक्त ग्राम रोजगार सहायकों को अब ग्राम पंचायत का सहायक सचिव घोषित करने का निर्णय लिया है। ये रोजगार सहायक अब सहायक सचिव के रूप में ग्राम पंचायत सचिव को उनके रोजमर्रा के काम में भी मदद करेंगे। ग्राम पंचायत सचिव की आकस्मिक अनुपस्थिति, अवकाश, सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र या किन्हीं कारणो से पद खाली होने की दशा में उन्हें ग्राम पंचायत सचिव का प्रभार सौपा जा सकेगा। प्रशासनिक दृष्टि से की गई इस व्यवस्था से ऐसी परिस्थितियों में अब ग्राम पंचायत का काम-काज निर्बाध रूप से जारी रह सकेगा।

ग्राम रोजगार सहायक संबंधित ग्राम पंचायत के नियंत्रण में रहकर ही अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इनके बैठने की व्यवस्था ग्राम पंचायत कार्यालय में ही रहेगी। इनका जिला संवर्ग नहीं होगा। ग्राम पंचायत के सहायक सचिव की स्थाई व्यवस्था तय होने तक यह अस्थाई व्यवस्था प्रभावशील रहेगी। सहायक सचिव अब ग्राम रोजगार सहायक के अपने मूल पद के साथ ग्राम पंचायत से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे। वे मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के एमआईएस का कार्य करेंगे। उनके द्वारा ग्रामसभा और ग्राम पंचायत की बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन भी किया जाएगा। वे जिला और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा ग्राम पंचायत द्वारा समय-समय पर निर्देशित कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। कर्तव्यो के निर्वहन में लापरवाही के मामले में उन्हें विहित प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकेगा। साथ ही जिला कलेक्टर पर्याप्त आधार पर किसी भी समय ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर सकेंगे।

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत कि किसी पदाधिकारी का नातेदार है, वह ग्राम पंचायत के सचिव/ सहायक सचिव के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के अतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा की गई है। अब इन रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायत के सहायक सचिव के पद पर रखे जाने का निर्णाय लिया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की दशा में ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त मेट को अस्थाई तौर पर ग्राम पंचायत सचिव का प्रभार सौपने के पांच साल पुराने आदेश को अब निरस्त कर दिया गया है।

विशेष

विधवा पेंशनः सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का सवाल

मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ और आलीराजपुर जिले की कई विधवा महिलाएं सरकार द्वारा लागू पेंशन योजना से वंचित है। यहां किए गए एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि यहां ४७ प्रतिशत महिलाएं पात्र होने के बावजूद पेंशन से वंचित है। जबकि कई महिलाओं की पेंशन बगैर कारण बताए बंद कर दी गई। कई लोगो की यह शिकायत है कि उन्हें हर महीने नियमित रूप से पेंशन नहीं मिलती। प्रस्तुत है इसी पर केन्द्रित एक रिपोर्ट-

विधवा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है। इसमें ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन'' योजना के साथ ही ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धवस्था पेंशन'' तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ भी विधवा महिलाओं को दिए जाने का प्रावधान है। इन पेंशन योजनाओं की खास बात यह है कि इनमें उम्र के अनुसार योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता है। जैसे 40 से 59 वर्ष की आयु की विधवा महिलाओं को ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन'' का लाभ दिया जाता है, वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धवस्था पेंशन'' योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। इन दोनों ही योजनाओं का लाभ पाने के लिए बीपीएल सूची में नाम होना जरूरी है, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष तक की उम्र की विधवा महिलाओं को मात्र 150 रूपए प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें बीपीएल की शर्त नहीं है। यहां यह सवाल तो है ही कि पेंशन की अल्प राशि से क्या विधवा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। किन्तु इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो योजनाएं लागू की गई है, क्या जमीनी स्तर पर उनका लाभ पात्र महिलाओं को मिल पा रहा है? यह देखा गया है कि आज भी कई विधवा महिलाएं योजना की शर्तों को पूरा करने के बावजूद पेंशन से वंचित है तथा कई महिलाओ की पेंशन बगैर सूचना के बंद कर दी गई।

मध्यप्रदेश में पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन सरकार द्वारा खर्च की गई राशि के आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है। वर्ष 2012–13 में मध्यप्रदेश को ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 438 करोड़ 82 लाख रूपए केन्द्र द्वारा आवंटित किए गए। इनमें से वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 दिन पहले तक 368 करोड रूपए खर्च कर 14 लाख हितग्राहियों को लाभ दिया गया। यानी 70 करोड़ 42 लाख रूपए खर्च ही नहीं हुए। जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में केन्द्र सरकार से प्राप्त 72 करोड़ रूपए में से 35 करोड़ रूपए ही खर्च किए गए। यानी पचास प्रतिशत राशि खर्च ही नहीं हुई। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 107 करोड़ 2 लाख रूपए खर्च नही हुए। इस योजना में केन्द्र सरकार से 304 करोड़ 37 लाख रूपए प्राप्त हुए थे, जिसमें से 197 करोड़ 35 लाख रूपए खर्च हुए।

झाबुआ जिले के मोद फलिया की ६५ वर्षीय लींबुडीबाई का कहना है कि चार साल पहले पति गुजर चुके है। तब से भरण-पोषण के लिए मजदूरी कर रही हूं। लेकिन अब उम्र हो चुकी है। जब काम पर नहीं जा पाती तो पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। पेंशन के लिए कई बार पंचायत के चक्कर लगाए। सरपंच से भी बात की। जनपद पंचायत में भी गई, पर वहां कोई नही मिला। सचिव के कहने पर कई कागज (प्रमाण पत्र) भी जमा करवा दिए। लेकिन अब तक पेंशन शुरू नहीं हुई। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती हैं। अब लगता है कि पेंशन मिलेगी ही नहीं। स्पष्ट है कि नियमों के अनुसार लींबुड़ीबाई विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन की हकदार है।

[kkl ckr

- झाबुआ अलीराजपुर जिले के सर्वेक्षित 30 गांवो में 24 प्रतिशत विधवा महिलाओं के पास उनके नाम का रोजगार गारंटी योजना जॉब कार्ड नहीं हैं।
- दोनों जिलों में कुल मिलाकर 47 प्रतिशत विधवा महिलाएं पात्र होने के बावजूद पेंशन से वंचित है। पेंशन से वंचित महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या आलीराजपुर जिले में है। यहां सर्वेक्षित महिलाओं में से 89 प्रतिशत को पेंशन नहीं मिल रही है। झाबुआ जिले में पेंशन से वंचित महिलाओं की सख्या 22 प्रतिशत है।
- पेंशन से वंचित महिलाओं में से 39 प्रतिशत महिलाओं को पेंशन मिलती थी, किन्तु एक साल पहले उनकी पेंशन बंद हो गई। उन्हें पेंशन बंद होने का कारण नहीं बताया गया।
- पेंशन से वंचित कई महिलाओं पर अपने छोटे बच्चों के पालन–पोषण की जिम्मेदारी हैं। उनके पास पर्याप्त रोजगार के अवसर भी नहीं है। इस दशा उन्हें बेहद आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है।
- सर्वेक्षित 552 विधवा महिलाओं में से 86 प्रतिशत महिलाओं के नाम पर कोई सम्पत्ति नहीं हैं। उनके रहने के मकान और अन्य सम्पत्ति भी परिवार के पुरूषों के नाम पर ही है। पति की मृत्यु के बाद कई महिलाओ को इस सम्पत्ति से वंचित होने का भी डर रहता है।

विधवा पेंशन योजनाओ के क्रियान्वयन को लेकर झाबुआ स्थित संस्था ''आदिवासी चेतना शिक्षण सेवा समिति'' द्वारा झाबुआ एवं आलीराजपुर जिले की 28 ग्राम पंचयतों के 38 गांवों की 552 विधवा महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से सामने आए तथ्यों के अनुसार पात्र होने के बावजूद बड़ी संख्या में विधवा महिलाएं पेंशन से वंचित है। उन्हें यह नहीं मालूम कि उन्हें कौन सी पेंशन मिल सकती है और पेंशन पाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? वे यह समझती है कि उन्हें पेंशन देने की कार्यवाही ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा की जाएगी। किन्तु पेंशन हेतु इन महिलाओं के कोई आवेदन पत्र भरे या नहीं इस बारे में ग्राम पंचायत सचिव ने उन्हें आज तक कुछ नहीं बताया। आज भी दोनों जिलों के सर्वेक्षित क्षेत्र में 47 प्रतिशत महिलाएं पात्र होने के बावजूद पेंशन से वंचित है। पेंशन से वंचित महिलाओं में सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति उन महिलाओं की है जिन पर छोटे बच्चो के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने वाली 123 महिलाओं में से एक तिहाई महिलाओं को किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिल रही है। कई महिलाओं के 6 वर्ष से छोटे बच्चे बच्चे हैं जिन्हें छोड़कर वे मजदूरी करने भी नहीं जा पाती। ऐसे में उनके सामने कमाई या रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इस दशा में उन्हें सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के विशेष अवसरो की जरूरत है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत में उनके पेंशन के फार्म आगे नहीं बढ़ पाए।

सर्वेक्षण के दौरान 39 महिलाएं ऐसी पाई गई जिनकी पेंशन पिछले एक साल से बंद है। उनमें से सिर्फ 9 महिलाओं को पेंशंन बंद होने का कारण पूछने पर बताया गया। जबकि किसी भी महिला को ग्राम पंचायत की तरफ से पेंशन बंद होने का कोई कारण नहीं बताया गया। अध्ययन से पता चला कि इन 9 महिलाओं की पेंशन बैंक खाता बदलने के कारण बंद हो गई। यानी नए बैंक खाते का रिकॉर्ड जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत द्वारा अभी तैयार नहीं किया गया है। जिसके कारण 1 साल से भी अधिक समय से महिलाएं पेंशन से वंचित है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रशासनिक कारणों से जिन महिलाओं की पेंशन पिछले एक साल से बंद है, क्या उन्हें इतने समय की बकाया पेंशन मिलेगी? इस तरह स्पष्ट है कि विधवा महिलाओं के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन योजनाओ का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन बेहद कमजोर है। इसमें प्रशासनिक तंत्र की तो जिम्मेदारी है ही, किन्तु पंचायत प्रतिनिधियो को भी इस मामले में ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील होने की जरूरत है। क्योंकि पंचायत राज की स्थापना के बाद गांव का विकास और सामाजिक न्याय तथा योजनाओं तक लोगों की पहुंच कायम करने की जिम्मेदारी पंचायतों की है।

पेंशन की पात्रता के नियम : एक नज़र में

- ***भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन के क्रमाकं /जे– 11015/ 1/ 2011/एनएसएपी दिनाकं 30 जनू 2011 के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कायर्क्रम के अंतर्गत मौजूदा इदिरा गाधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पशेंन योजना के तहत आयु सीमा को 65 से घटाई जाकर 60 वर्ष की गई है तथा 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय सहायता राशि को रु. 200 से बढ़ाकर रु. 500 किया गया है।***
- ***इस योजना में 60 वर्ष से 64 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु. 200 तथा 65 से 79 वर्ष की आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह 275 रूपए पेंशन दिए जाने का नियम है।***
- ***इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वे ही लोग पात्र है, जिनके नाम बीपीएल सूची में शामिल है।***
- ***इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 वर्ष से 59 वर्ष की आयु की विधवा महिलाओं को 200 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसके लिए विधवा महिला या उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है।***
- ***राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु के निःशक्त व्यक्तियों को 200 रूपए प्रतिमाह पेंशन केन्द्रीय मद से दिए जाने का नियम हैं। इसके लिए आवेदक या उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची में होना जरूरी है।***
- ***सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले 60 से 64 वर्ष आयु के वृद्ध, विधवा, निःशक्त, बी. पी.एल. परिवार के हितग्राहियों को इदिरा गाधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में समाहित किया जाकर 200 रूपए प्रति प्रतिमाह पेंशन राशि दये होगी।***
- ***सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत निराश्रित वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवा एवं परित्यक्ता को लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल सूची में नाम होना जरूरी नहीं है। इसके अंतर्गत हितग्राही को 150 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।***
- ***पेंशन के आवेदनों पर निर्णय जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जाता है। आवेदन देने के 60 दिनों के अंदर निर्णय लेना जरूरी है। इस अवधि में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है या कोई आवेदक निर्णय से असंतुष्ट हो तो वे एस.डी.एम. को अपील कर सकते हैं। यह अपील आवेदन नामंजूर होने या अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर की जा सकती है।***

मनरेगा की फील्ड रिपोर्ट

अभी भी जारी है पलायन

रोजगार गारंटी योजना के बावजूद मध्य प्रदेश के आदिवासियों को पलायन से मुक्ति नहीं मिल पाई। इस साल अप्रैल से जून माह के बीच प्रदेश के झाबुआ और आलीराजपुर जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में पलायन पर रहे। कई लोग आज भी दो जून की रोटी के लिए सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा और दिल्ली सहित कई शहरों में काम करने को विवश है। पलायन की यह स्थिति रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करती है। कहा जाता है कि लोग पैसा कमाने के लिए बड़े शहरों में मजदूरी करने जाते है, किन्तु हकीकत यह है कि उन्हें वहां जो पैसा मिलता है उससे पेट भरना भी मुश्किल होता है। हालांकि यह उम्मीद की जा रही है कि मनरेगा के नए दिशा निर्देशों के बाद स्थिति में बदलाव आएगा। किन्तु बदलाव के लिए फील्ड के अनुभव पर भी विचार करने की जरूरत महसूस होती है। यहां प्रस्तुत है फील्ड के अनुभवों पर आधारित रिपोर्ट।

मध्यप्रदेश की गुजरात सीमा पर बसे आलीराजपुर जिले के अठ्ठा गांव के साजी. सिंह का परिवार जनवरी माह से पलायन पर है। पलायन करने वालों में उसके 22 और 27 वर्षीय बेटे एवं बहुओं के साथ ही 12 और 16 वर्षीय दो पुत्र भी शामिल है। इसी जिले के छोटीगेंदरा नामक गांव का रणसिंह भी अपने पूरे परिवार के साथ सूरत में मजदूरी कर रहा है। इसी पलायन के चलते उसके 5 और 10 साल के दो बेटे और 7 साल की एक बेटी स्कूल से वंचित है। साथ ही 2 साल का एक बेटा भी जीव के इस संघर्ष में उनके साथ है। मजदूरी की तलाश में पलायन का यह दर्द भुगतने वालों में अकेले साजीसिंह और रणसिंह ही नहीं है, बल्कि झाबुआ और आल. ीराजपुर गांव के हजारों लोग रोजी रोटी के लिए अपना घर छोड़ने को विवश है।

उल्लेखनीय है कि आलीराजपुर के आदिवा. सियों के लिए पलायन पिछले कई वर्षों से जानलेवा बना हुआ है। रोजगार की तलाश में गुजरात के गोधरा और बालासिंधुर जाने वाले आदिवासियों को कांच फैक्ट्रियों में आसानी से काम मिल जाता है, किन्तु वहां उड़ने वाले धूल से वे सिलिकोसिस नामक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अनुमान है कि पिछले चार सालों में झाबुआ तथा आलीराजपुर जिले के 1500 से अधिक आदिवासियों की मौत सिलीकोसस बीमारी से हो चुकी है और पांच हजार से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित है। लगातार हो रही मौत से लोगों ने कांच फैक्ट्रियों में जाना तो छोड़ दिया, किन्तु पलायन की विवशता से अब तक मुक्ति नहीं मिली। यह देखा गया है कि इन दोनों जिलों में रोजगार गारंटी के कामों में लोगों को समय पर काम नहीं मिल पाता है और न ही काम करने वालों को समय पर मजदूरी मिल पाती है।

cxj vkonu d dke

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में यह प्रावधान है कि लोगों द्वारा रोजगार मांगने के आवेदन देने पर उन्हें पन्द्रह दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि प्रशासन उन्हें पन्द्रह दिनों में रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार हो जाते हैं। इसी उत्तरदायित्व से बचने के लिए पंचायत की नौकरशाही द्वारा लोगों को बगैर आवेदन के रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

ज्यादातर लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि वे रोजगार के लिए आवेदन दे सकते हैं। वे पंचायत द्वारा काम शुरू करवाने का इंजतार करते हैं और मौखिक रूप से ग्राम पंचायत सचिव व सरपंच से काम की मांग करते हैं। सरपंच और सचिव द्वारा उन्हें काम के लिए ओवदन देने के बारे बताया नहीं जाता। कई स्थानों पर जहां लोगों द्वारा आवेदन देना चाहा तो ग्राम पंचायत सचिव व सरपंच द्वारा आवेदन लेने से ही इंकार कर दिया गया। लोगों को बगैर आवेदन के काम मिलने पर उन्हें कई तरह की दिक्कतें होती है, जैसे उन्हें आवश्यकता के समय काम नहीं मिल पाता, जितने दिनों का काम चाहिए, उतने दिनों का काम नहीं मिल पाता और काम न मिल पाने की दशा में बेरोजगारी भत्ते का दावा नहीं कर पाते हैं।

tkc dkM e ugh gkrh bVh

मजदूरों द्वारा किए गए काम का रिकॉर्ड मजदूरों के पास भी रहे, इसके लिए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। किन्तु झाबुआ और आलीराजपुर जिलों में जॉब कार्ड में इंट्री किए जाने का प्रचलन नहीं देख गया। यानी यहां कई ग्राम पंचायतो में जॉब कार्ड का उपयेाग ही नहीं किया जा रहा है। जिससे काम करने वालों को यह जानकारी नहीं होती है कि उन्होंने कितने काम किया है और 100 दिनों में से कितने दिन शेष है। साथ ही किस काम की कितनी मजदूरी मिली, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं मिलती है।

le; ij ugh feyrh etnjh

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी के भुगतान में बिलंव आम बात रही है और इसी के कारण लोगों की इस येाजना से रूचि समाप्त होने लगी है तथा वे अपनी जीविका के लिए पलायन को मजबूर हुए हैं। कई स्थानों पर महिनों तक मजदूरी का भुगतान नहीं होने की शिकायतें मिली है। आलीराजपुर जिले की ग्राम पंचायत वाकनेर के 120 मजदूरों को 18 दिन की मजदूरी मार्च 2011 से बकाया है। ग्राम पंचायत खुडाम्बा के लोगों को तालाब निर्माण की मजदूरी एक महीने से नहीं मिली। इस तरह और भी कई ग्राम पंचायतों के लोगों की मजदूरी बकाया है।

cdk u ugh nh etnjk dk ikl cd

नियम के अनुसार बैंक खाते में जमा पैसा निकालने का अधिकार खातेदार को है और खातेदार कभी भी अपने खाते से पैसा निकाल सकता है। बैंक के पास खातेदार के फोटो उपलब्ध है, जिससे वह खातेदार को सत्यापित कर सकती है। किन्तु कई बैंकों द्वारा मजदूरों को उनके खाते से पैसा तब तक नहीं दिया जाता, जब तक ग्राम पंचायत सचिव द्वारा विड्रावल पर उनके दस्तखत को सत्यापित नहीं कर दिया जाता। कई बैंकों द्वारा जहां मजदूरों को पास बुक नहीं दी गई तो कई बैंकों द्वारा उनकी पास. बुक में जमा और आहरित राशि की इंट्री नहीं की गई। जिससे मजदूरों को यह पता नहीं चलता कि उनकी मजदूरी के कितने रूपए जमा किए गए और उनके खाते में कितने रूपए शेष है। रोजगार गारंटी की इस जमीनी हकीकत से यह बात साफ होती है कि दूरदराज के क्षेत्रों में अभी भी यह योजना लोगों की सहभागिता से नहीं चल पा रही है, और लोग खुद इस योजना के लिए कोई नियोजन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वे रोजगार की तलाश में पलयान को विवश है। यह उम्मीद की जा रही है कि नए दिशा निर्देशों से इन खामियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

fopkj&foe'k

जमीनी राजनीति में पीछे नहीं है महिलाएं

xfjek ;kno

यह स्पष्ट है कि हमारा समाज पुरूष प्रधान समाज है और इसमें विकास के फैसलों से लेकर राजनीति तक के सभी काम पुरूषों के हाथों में ही रहे है। इसके बावजूद जब–जब महिलाओं को घर से लेकर देश और समाज तक की जिम्मेदारी मिली, उसमें वे हमेशा सार्थक और सफल हुई है। देश से लेकर ग्राम पंचायत तक महिलाओं ने ऐसे कई काम किए, जिनमें उनकी बेहतर नेतृत्व क्षमता की छाप मिलती है। पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण के बाद यह बात कही जा रही थीं कि महिलाएं पंचायत के काम संभाल नहीं पाएगी और वे अपने पति या अन्य पुरूष रिश्तेदारों पर निर्भर रहेगी। इस बात को व्यापक स्तर पर प्रचारित भी किया गया। किन्तु कई महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत में न सिर्फ अपनी भूमिका निभाने में सफलता हासिल की, बल्कि उन्होंने व्यवस्था में परिवर्तन की अनूठी मिसाल कायम की है। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत सारंगी की सरपंच फुंदीबाई ने ग्रामसभा आयोजन की जो मिसाल कायम की, उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। उनकी इसी नेतत्व क्षमता को

राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। झाबुआ जिले की वंदना मेड़ा ने पंचायत में अपने कार्यों के बल पर यू. एन. वूमन कैलेण्डर में जगह बनाई। जबकि गुजरात के आणंद जिले की ग्राम पंचायत चांगा की सरपंच सुधाबेन दृष्टिहीन होते हुए भी विकास को बहुत ही बारीकी से देखने में सफल हुई और उन्होंने अपनी पंचायत में विकास के सभी कार्यों को पूरी कुशलता से पूरा किया।

पारंपरिक मूल्यों पर आधारित समाज व्यवस्था में महिला पंच–सरपंचों की राह में कई बाधाएं भी देखने को मिलती हैं। कई बार उन्हें संघर्ष का सामना भी करना पड़ा। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत पिपराबिलारी की सरपंच गोदियाबाई को आज से एक डेढ़ दशक पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव के कुछ लोगों द्वारा झण्डावंदन करने से रोका गया था। इसी तरह कई महिला सरपंचों की राह में गांवों के दबग लोगों द्वारा कई तरह की बाधाए उत्पन्न की गई।

सीहोर जिले की जनपद पंचायत इछावर की ग्राम पंचायत सिराडी के महिला समूह ने कई बार यह प्रयास किया कि गांव के कुए का पुर्ननिर्माण हो जाए, परन्तु पुरूष नियंत्रण वाली पंचायत ने महिलाओं की जरूरत के काम पर ध्यान नहीं दिया। इस दशा में गांव के महिला समूह ने खुद कुए का पुनर्निर्माण कर दिया। महिला समूह का यह साहस पुरूष की सत्ता को एक चुनौती थी। इसकी प्रतिक्रिया में महिला समूह को दुर्व्यवहार से दो–चार होना पड़ा। किन्तु वे गांव को संगठित करने में कामयाब रही। इस तरह यह बात साफतौर पर सामने आती है कि तमाम बाधाओं के बावजूद महिलाएं जमीनी राजनीति में पूरी सक्रियता के साथ सामने आ रही है और पंचायत में अपनी उपस्थिति और सार्थकता साबित कर रही है।

पंचम्

36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

सदस्य का नाम ____________

वर्तमान पद ____________

ग्राम पंचायत का नाम ____________

ग्राम ____________

पोस्ट ____________

तहसील ____________

जिला ____________

राज्य ____________

सदस्यता राशि का ब्यौरा

◆वार्षिक-80 रु. ◆द्विवार्षिक-150 रु. ◆त्रिवार्षिक-200 रु.
◆पंचवार्षिय-400 रु. ◆ आजीवन-5000 रु.

कृपया हमारी ग्राम पंचायत/पुस्तकालय/मुझे पंचायतों एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख समाचार पत्र पंचम् की सदस्यता प्रदान कर नियमित रूप से उक्त पते पर भेजने की कृपा करें। सदस्यता राशि नगद/मनी आर्डर/चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि रुपये (अंकों में) ....
(शब्दो में)..
.... दिनांक .... संलग्न है।
पावती भेजने की व्यवस्था करें। हस्ताक्षर
स्थान: .... नाम एवं पता
दिनांक ....

आपकी पंचायत से संबंधित लेख, रिपोर्ट और खबरें आमंत्रित

'पंचम' पंचायती राज जन-प्रतिनिधियों का अपना समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र में मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज से जुड़ी समस्याएं, सुझाव, प्रमुख योजनाओं एवं ग्राम विकास से संबंधित प्रमुख जानकारियों के साथ पंचायती राज के सशक्तिकरण करने कि दिशा में जन-प्रतिनिधियों की भूमिका, जिम्मेदारी, चुनौतियां, उनके द्वारा किये गये प्रयासो को प्रमुखता से प्रकाशित की जाती है ताकि सामुदायिक विकास कार्यो में सहभागी निर्णय प्रक्रिया के द्वारा शासन-प्रशासन में पारदर्शीता एवं जबाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। आप भी अपने कार्य क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों को अपने विचार रखने/लिखने के लिये प्रेरित कर सकते हैं अथवा उनसे बातचीत के आधार पर आप स्वंय लिख कर माह के 5 तारीख तक फेटोग्राफ के साथ हमें आवश्य भेज दे ताकि समुचित स्थान मिल सके।

आपके सवाल व समाधान

पिछले 16 सालों से यह अनुभाव हुआ है कि प्रदेश की पंचायत और प्रतिनिधियों से जुड़ी कई कठनाईयों होती हैं जिसका समाधान स्थानीय स्तर पर नही हो पा रहा है अपने अधिकारों की एवं शासकीय आदेश निर्देश की जानकारी सुलभ नही हो पाती है। जिसके कारण आम आदमी से लेकर पंचायत तक दर-दर भटकना पड़ता है। इस समस्या का हल खोजने के पंचम आपके सवाल व समाधान के नाम से एक साझा मंच आपके सामने प्रस्तुत रहा है। जिसमें आप अपने सवाल हमें निर्धारित प्रारूप में भेज सकते हैं। जिसके जवाब हम संबंधित विभाग के अधिकारी से पूछेंगे और उनके जवाबों को अगले अंको में प्रकाशित करते रहेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आगे बढ़कर सुशासन को प्रभावी बनाने के इस साझे मंच का उपयोग करेगे।

आपके....???

सवाल व समाधान

नाम..
.... ग्राम पंचायत का नाम ....
जनपद पंचायत .... जिला ....

अपना सवाल जवाब इस पते पर भेजें-
36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस) पर चर्चा

मनरेगा की नई व्यवस्था पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

रीतिका अग्रवाल द्वारा

lhgkjA काम की मांग को बढ़ाने और उसके आधार पर मनरेगा के नियोजन पर केन्द्रित एक राज्य स्तरीय विमर्श का आयोजन 31 जुलाई 2013 को सीहोर में हुआ। समर्थन एवं सहभागी शिक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित इस विमर्श में मध्यप्रदेश की विभिन्न संस्थाओं के 35 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य मनरेगा में काम की माग को बढ़ाने और इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय तलाशना था। कार्यशाला की शुरूआत मनरेगा में इलेक्ट्रनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस) की स्थिति की समीक्षा से की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के कमिश्नर श्री रवीन्द्र पस्तोर ने ईएफएमएस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस व्यवस्था की जरूरत और इससे मनरेगा के क्रियान्वयन में पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे बताया। इस दौरान ईएफएमएस को लागू करने के क्रियान्वयन की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। सहभागियों का कहना था कि इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को सरलता से प्रसारित की जाए।

यह इलेक्ट्रानिक व्यवस्था कम्प्युटर और इंटरनेट तकनीक पर आधारित है, जबकि पंचायतों की मौजूदा व्यवस्था में हाथ से लिखे दस्तावेजों का प्रचलन रहा है। इस दशा में पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि सभी सहभागियों ने नई व्यवस्था को बेहतर माना, किन्तु इसके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए विशेष तैयारियों की जरूरत उभरकर आई।

इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस) क्या है?

- मनरेगा की राशि के लिए हर जिले का एक एकाउंट (खाता) होगा। यानी अब पंचायतों के अलग-अलग खाते नहीं होंगे।
- सभी भुगतान डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से होंगे।
- काम पूरा होने के तीन दिनो के अंदर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि मजदूरी भुगतान में देरी होती है तो उसकी जांच की जाएगी।
- यदि कोई सामग्री खरीदनी पड़े तो उसके लिए दुकानकार का पंजीयन होगा तथा सामग्री की राशि का भुगतान सीधे दुकानदार के खाते में जमा किया जाएगा।
- हर पंचायत में मजदूरों के समूह बनेंगे। हर समूह का अपना मेट होगा, जो मजदूरों के रोजगार के आवेदन तैयार करेगा। मजदूरों को काम की सूचना देना, काम के दौरान देखरेख एवं अन्य व्यवस्थाएं करने का काम भी मेट का होगा।
- रोजगार सहायक जनपद पंचायत से ईमस्टर रोल प्राप्त करेगा। इसी ई मस्टर रोल के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

eujxk % ikbl&ikbl dk fglkc gkxk lkoltfud

HkkikyA ग्राम पंचायतो को अब प्रत्येक गांव में होर्डिंग लगाकर किए गए कार्यो के पाई-पाई का हिसाब बताना होगा। इस आशय का निर्देश मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त श्री रवीन्द्र पस्तोर ने जारी किए हैं। राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर कराए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की संभावनाओं को कम करने के लिए ऐसा कर रही है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार गांव में ग्रामसभा की बैठक स्थल या ग्राम

होर्डिंग लगाकर देनी होगी जानकारी

पंचायत कार्यालय या सार्वजनिक स्थल पर पंचायत द्वारा करवाए गए कार्यों की सूची, उनमें काम करने वाले मजदूरों की सूची एवं मजदूरी की राशि से संबंधित सभी जानकारियां प्रदर्शित करना होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतवार सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिसका परीक्षण म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार सहायक की मदद से श्रमिक सूमह का पंजीयन रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा। निर्देश का पालन नहीं करने वाले सरपंच एवं सचिवों पर कार्यवाही का भी प्रावधान है।

हेल्पलाईन

हेल्पलाईन पर पूछे, समझे, और उपयोग करे
आपकी मदद के लिये तत्पर हेल्पलाईन नं. 0755-2467625, 4993147
पंचायत राज महासंघ सचिवालय
36, ग्रीन एवेन्यु, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश

स्वामी एवं प्रकाशक पंचायती राज महासंघ के लिए सचिव पंचायती राज महासंघ द्वारा प्रकाशित एवं केपीटल प्रिंटर्स ए-1, प्लाट नं 7 प्रेस काम्पलेक्स एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित एवं 36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- लता गुडडू वानखेड़े, कार्यकारी संपादक-राजेन्द्र बंधु, संपादकीय सलाहकार मंडल, ब्रजकिशोर डण्डोतिया, शांतिलाल नागपुरे, जयदीप बैस, चतुरेश सेन, श्याम श्रीवास्तव, आशुतोष रजक। मुद्रित सामग्री के चयन के लिए पी.आर.बी एक्ट के तहत जिम्मेवार, न्यायिक क्षेत्र-भोपाल। सहयोग- समर्थन, भोपाल (म.प्र.) फोन नं. 0755-2467625, 4993147